70

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2694—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 15—07—2016 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कोतमा जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 28/अपील/2015—16.

.....

रमा गोबिन्द तनय महेश प्रसाद पाठक
निवासी ग्राम सोहागी तहसील त्यौथर
जिला रीवा म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

चन्द्र कुमार मिश्रा तनय रामकृपाल मिश्रा
निवासी कोतमा वार्ड कमांक—8
रेस्ट हाउस रोड कोतमा जिला
अनूपपुर म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 12-01-2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी कोतमा जिला अनूपपुर म0 प्र0 के आदेश दिनांक 15.07.2016 के विरूद्ध म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2—प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि नामांतरण पंजी कमांक 38 राजस्व राजस्व निरीक्षक कोतमा के आदेश दिनांक 27.7.97 को किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी कोतमा जिला अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी कोतमा द्वारा दिनांक 15.7.16 को धारा—5 का आवेदन स्वीकार किया गया इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कोतमा का पारित आदेश दिनांक 15.7.16 विधि व प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये 40 वर्ष पूर्व किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण आदेश में बिना रिकार्ड बुलवाये धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन स्वीकार किया गया है, जबकि प्रकरण अपील के प्रचलनशीलता, आपत्ति पर आदेश के लिये नियत था इस कारण निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। नामांतरण पंजी कमांक 38 दिनांक 25.7.77 को किये गये नामांतरण में विक्रेता के हस्ताक्षर बने हैं । इश्तहार का प्रकाशन किया गया, कोई आपत्ति न होने पर राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांतरण आदेश दिये गये। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रकरण बुलाये प्रकरण का अवलोकन किये बिना धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये निराकृत करने में महान् भूल की है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रकरण अपील के प्रचलनशीलता के आपत्ति पर आदेश हेतु नियत था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी निराकृत कर विधिक न्याय के सिद्वांतों का पालन नहीं किया है, जिस कारण निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है, एवं अनुविभागीय अधिकारी कोतमा का आदेश दिनांक 15.7.2016 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक को नाना ने वाद भूमि का विक्रय किसी को नहीं किया। अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण ने चोरी छिपे नामांतरण कराये है, जबकि अनावेदक हिस्सा बांट के समय से ही वाद भूमि पर काबिज है। अनावेदक को वाद भूमि की जानकारी दिनांक 5.1.16 को होने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे। प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.7.16 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रकरण में संलग्न नामांतरण पंजी का अवलोकन किया गया

जिसमें महापूर्णाचारी के हस्ताक्षर हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आदेश दिनांक 22.7.77 की जानाकरी थी। अतः 40 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है तथा धारा–5 का आवेदन स्वीकार करने में त्रुटि की गई है। अनुविभागीय अधिकारी कोतमा द्वारा नामांतरण पंजी का भलींभाति उसका परीक्षण नहीं किया गया है। पंजी पर महापूर्णाचारी के हस्ताक्षर हैं। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 15.7.16 स्थिर रखने योग्य नहीं है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी कोतमा जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 28/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 15.7.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर